SDM

7/7/23

बकुलाय उपल पत्रावली पेश हुई। सायल वकील अपनी प्रार्थना -पत्र अदम पैरवी को साबित करने में नाकाम रहे हैं। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अदम साबित ना होने से खारिज खारिज किया जाता है। पत्रावली पर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मौसल दुरुस्त होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया

SDM

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिह गुर्जर आर ए एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 137 / 2022
वउनवान

1. महेश पुत्र रामरतन जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

—————— सायल

बनाम

1. अजयसिंह पुत्र रामरतन जाति जाटव निवासी कठूमर
2. अमीन पुत्र रामरतन जाति जाटव निवासी कठूमर
3. असरफी पत्नी रामरतन जाति जाटव निवासी कठूमर
4. पूरनचन्द पुत्र लालाराम जाति जाटव निवासी कठूमर
5. बण्टी कुमार पुत्र गयालाल जाति जाटव निवासी कठूमर
6. मुनेश कुमार पुत्र कैलाश जाति जाटव निवासी कठूमर
7. रजनी कुमारी पुत्री गयालाल जाति जाटव निवासी कठूमर
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र गयालाल जाति जाटव निवासी कठूमर
9. रामादेवी पत्नी गयालाल जाति जाटव निवासी कठूमर
10. रिंकू देवी पुत्री गयालाल जाति जाटव निवासी कठूमर
11. हरिचरण पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी कठूमर
12. सोरनदेई पत्नी राजीव कुमार जाति जाटव निवासी कठूमर
13. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर,
14. राकेश कुमार पुत्र जग्गोराम जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दफ० 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :— श्री श्यामसिंह चौहान— अधिवक्तागणसायल

श्री नरेश कुमार— अधिवक्ता गैरसायल सं० 1,2, 4 ला० 6 व 10—11

श्री थानसिंह कर्दम– अधिवक्ता गैरसायल सं0 14

आदेश दिनांक 07.07.2023

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 757 रकवा 1.23 हे. वाके ग्राम सामोली व खसरा नम्बर 878 रकवा 0.95 हे. 884 रकवा 0.96 हे. ग्राम कठूमरं तहसील कठूमरं में स्थित है। उक्त आराजी में सायल का 1/20 हिस्सा है. शेष हिस्सा गैरसायलान का है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल एंव गैरसायलानके आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पंर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान. से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का कांनूनीं तकासमा नहीं करायेगें और तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलन अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव कियागया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

गैरसायल सं0 1, 2, व 4 ला0 6व 10–11 मय अधिवक्ता हाजिर हुये। जवाव को समय चाहा। बार बार जवाव को समय लेने के बाबजूद भी अप्रार्थी सं0 1,2 व 4 ला0 6 व 10–11 ने जवाव पेश नहीं किये जाने पर

दिनांक 17.04.2023 को जवाव बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 9, 12, 13 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व दिनांक 26.06.2023 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 14 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि उक्त आराजी अवट ना होकर उक्त आराजी का सायल एंव गैरसायलांन ने दिनांक 03.06.2022 को आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था। जिस घरू वंटवारे की लिखा पढी हुई थी तभी से सायल एंव गैरसायलांन मुताविक घरू वंटवारा अपने अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी सं0 6 ने अपना 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 07.06.2022 को अप्रार्थी सं0 14 को वेचान कर मुताविक घरू वंटवारा कब्जा करा दिया। जिस पर गैरसायल सं0 14 काविज रहकर काश्त कर रहा है जिस रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर इन्तकाल को रूकवाने के लिये सायल ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्टे जारी करा लिया है। सायल ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायल को किसी तरह की क्षति व नुकशान नहीं होता है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम कठूमर व वयनामा दिनांक 07.06.2022 व छाया प्रति बंटवारानामा दिनांक 03.06.2022 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है,-

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता सायल व गैरसायलान की वहस सुनी गई।विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है विवादित आराजी अवट है लेकिन गैंरसायलान सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने सायल के तथ्यों का विरोध किया व कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर बंटी हुई है जिस घरू वंटवारा का स्टाम्प पर लिखा पढी पक्षकारान के मध्य हो चुकी है। गैरसायल सं0 14 ने गैरसायल सं0 6 मुनेश कुमार का 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर मुताविक घरू वंटवारा कब्जा प्राप्त कर लिया है। मुताविक घरू वंटवारा गैरसायल सं0 14 ने कब्ज़ा प्राप्त कर लिया व काविज़ होकर कश्त कर रहा है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर स्टे प्रार्थना पत्र पेश कर स्टे आदेश प्राप्त कर रजिस्टर्ड वयनामा का इन्तकाल रूकवा दिया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया। हमने पत्रावली के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दी संवत् 2074 से सायल द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से यह प्रमाणित है कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन गैरसायल सं0 14 का कथन है कि विवादित आराजी मौके पर घरू तौर पर बंटी हुई है गैरसायल सं0 6 ने अपना 1/5 हिस्सा गैरसायल सं 14 को वेचान कर मुताविक घरू वंटवारा सायल को कब्जा करा दिया है। जिन तथ्यों को सावित करने के लिये गैरसायल सं0 14 ने बंटवारानामा दिनांक 03.06.2022 की छाया प्रति व रजिस्टर्ड वयनामा किता दो दिनांक 07.06.2022 की छाया प्रति पेश की है। बंटवारानामा पर सभी पक्षकारान के सहमति के हस्ताक्षर है तथा रजिस्टर्ड वयनामा किता दो गैरसायल सं0 6 मुनेश कुमार ने गैरसायल सं0 14 को

उपखण्ड अधिकारी

जरिये रज़िस्टर्ड वयनामा वेचान किये है। मुताविक घरू वंटवारा विकेता मुनेश कुमार के हिस्से पर गैरसायल सं0 14 का कब्जा प्रतीत होता है। वंटवारानामा पर सायल महेश के हस्ताक्षर है लेकिन प्रार्थना पत्र में घरू वंटवारा का जिक नहीं किया है इसके अलावा गैरसायल सं0 14 ने विवादित आराजी का 1/5 हिस्सा गैरसायल सं06 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया जाना प्रमाणित है जिन विकय पत्रो के वारे में भी सायल ने प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं किया है पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी छाया प्रति वयनामा किता 2 व छाया प्रति बंटवारानामा के अवलोकन के वाद सायल द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश करना प्रतीत नहीं होता है। सायल को गैसायलान से किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इस तथ्य को सायल सावित नहीं कर पाया। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो अपार हानि व क्षति गैरसायलान को होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान हो रहा हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 07.07.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)